



प्रेस विज्ञप्ति



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक नवम्बर 01, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 225 वाहनों का चालान किया गया तथा 01 वाहन को सीज किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अजय पुत्र किशोर नि0 फरेन्दी तिवारी थाना सोनौली के कब्जे से 12 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 171/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र शिवपूजन नि0 गठौरा बाजार थाना ठूठीबारी के कब्जे से 20 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 188/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना चौक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1.अभियुक्त गोपाल यादव पुत्र बालचन्द्र नि0 पिपरा सोनाडी थाना चौक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 191/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर 2.अभियुक्त सुन्नर पुत्र रामदुलारे नि0 सलामतगढ़ थाना चौक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 192/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर 3.अभियुक्त राहुल गुप्ता पुत्र किशोर थाना चौक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 192/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना बरगदवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त कैलाश पुत्र रामवृक्ष नि0 नरायनपुर थाना बरगदवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 30 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 118/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1.अभियुक्ता सोनमती पत्नी नन्दू नि0 दुर्गापुर थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 238/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर 2.अभियुक्त प्रदीप साहनी पुत्र सुक्खू थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 239/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त राजेश पुत्र महेन्द्र नि० भुवनी थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 ली० कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 300/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रामकिशुन पुत्र सुदामा नि० इरहिया थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 बोरी यूरीया खाद व 01 अदद मो० सा० बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/22 धारा 11 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया ।

गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1.सूरज पुत्र सुदर्शन नि० सेमरा चन्दौली 2.संदय पुत्र रामप्रताप नि० व थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज को थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया ।

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1.सतीश पुत्र ठाकूर 2.श्यामभवन पुत्र रामनवल 3.रामप्रीत पुत्र बदलू थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज को थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/22 धारा 3/4गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया ।

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1.राकेश पुत्र योगेन्द्र नि० रेहरा टोला 2.राकेश पुत्र महंगू नि० व थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज को थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया ।

थाना बरगदवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1.राजेश पुत्र राजेन्द्र 2.श्यामदेव साहनी पुत्र अमेरिका थाना बरगदवा जनपद महाराजगंज को थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 28 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 31.10./01.11.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 25 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।